VPSEC/R/P/24/00051

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA

नई दिल्ली -110001 (भारत)

NEW DELHI – 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/23/2024-2025 **28 अगस्त, 2024**

सेवा में,

श्री नागेश किसनराव निमकर
घर न. 1376/1, सुंदरम अपार्टमेंट,
चौधरी कम्पाउण्ड, कामतघर
भिवंडी, जिला-ठाणे-421302

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 12.08.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 20.08.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 5+5=10 रूपये का पो॰आ॰सं॰ 63सी 820981, 63सी 820982 संलग्न कर, बिन्दुवार जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि **आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है।** इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

(signature)

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

SPEED POST
4/9/24

R.T.I. 24

VPSEC-SS/RTI-24/2024-2025 DSR/1634 22.08.24

केंद्रीय सूचना के अधिकार 2005 के तहत
सूचना के लिए आवेदन का प्रारूप

Save Earth And Environment

Vice President's Secretariat
Dy No. 373
Date 20/8/24
New Delhi

प्रति,

मा. सूचना अधिकारी

उपराष्ट्रपती कार्यालय, 6, मौलाना आझाद रोड,

नई दिल्ली-110002

1) अभ्यार्थी का नाम :- नागेश किसनराव निमकर

2) पूरा पत्ता व दूरभाषा नं. :- घर नं.: 1376/1, सुंदरम अपार्टमेंट, चौधरी कम्पाउंड, कामतघर, भिवंडी, जि. ठाणे. मो. : 9320899955

E-mail : dynamicactivity1@gmail.com

3) वांछित सूचना का उल्लेख (Subject) :- 1) भारत सरकार केंद्र सरकारके सन मार्च 2023 से 1 एप्रिल 2024 तक पुरे देशसे अलग अलग टॅक्स से भारत सरकारको कुल कितना रेव्हेन्यु जमा हुआ है, उसकी जानकारी दें।

2) भारत सरकारने सन 2024-25 के लिए खर्चेवाला बजेट जो कि, भारत सरकार के प्रशासन पर कितना खर्चा होता है, उसमें संरक्षण (थळसेना / वायुसेना / नौसेना) तथा भारत सरकारके विभिन्न आस्थापना प्रशासन पर कुल रेव्हेन्युसे मिलनेवाले पैसोंमें कितना पर्सेंट खर्च होता है, इसकी जानकारी दें।

3) भारत सरकार पर 12 अगस्त 2024 तक कुल मिलाकर कितना ऋण है, (विदेशी कर्जा और स्वदेशी कर्ज) इसकी जानकारी दें।

4) भारत सरकार ने लिए हुये ऋणपर सालाना कितना ब्याज देना पड रहा है, इसकी जानकारी दें और केंद्रके रिजर्व्ह बँक में सरकारी डिपॉझीट दस लाख करोड रुपये पडे थे अब उसमें कितनी वृध्दी हुई है या कम हुये है(जो आनीबानी इमर्जेन्सी के लिए रखे है) इसकी जानकारी दें।

5) सन 2014 से आजतक केंद्र सरकारके विदेश मंत्रालयने मंत्रीयोंके विदेश दौरेपर अबतक कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा संक्षिप्त लिखित दें।

4) अदा किये गये शुल्क का उल्लेख :- पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये 18G 364926 = 20/-

5) आवश्यक सूचना का वर्णन :- उपरी सूचना के रूप में

6) सूचना टपालद्वारे अथवा व्यक्तिश :- टपालद्वारे 63C 820981 82

7) अभ्यार्थी गरिबीरेखासे निचे परिवार का सदस्य है (बिपीएल प्रमाणपत्र) :- 5+5 =10/-

8) सूचना का प्रयोजन :- टपाल जानकारी के लिए

9) भारतीय नागरीक है :- मैं एक भारतीय नागरीक हूं,

कृपया मांगी गई जानकारी अतिशिघ्र उपलब्ध कराये।

पत्ता :-

दिनांक : 12/8/2024

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

Thanks a Lot

22/08/2024

RTI

50 टेर

रजिस्ट्री सं. डी. 221

२०/-

REGISTERED No. D-221
नोंदणी क्रमांक डी-221

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ
नवीन प्रशासन भवन, तळमजला
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०००३२

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
भारत राजपत्र

असाधारण
EXTRAORDINARY
असाधारण

भाग 12 अनुभाग 1
Part XII Section 1
भाग बारा अनुभाग 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकाराद्वारे प्रकाशित

सं. 1] नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2005/1 पौष (शक) 1927 [खण्ड 14
No. 1] NEW DELHI, 22nd December 2005/1 Pausa (SAKA) 1927 [Vol. 14
अंक १] नवी दिल्ली, २२ डिसेंबर २००५/१ पौष (शके) १९२७ [खंड १४

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करानेपर...!

★ अनुचित जानकारी देने से इनकार।

★ जानबुझकर आंशिक या भ्रामक जानकारी देने पर।

★ यदि जानकारी हटा दी जाती है अथवा नष्ट की जाती है।

★ यदि जानकारी में किसी भी तरह से हस्तक्षेप किये जानेपर।

सूचना अधिकारी आयुक्त सूचना अधिकारी को रुपये २५०/- प्रति दिन जैसे २५०००/- रु. तक अधिकतम जुर्माना लगा सकते है। साथ ही यदि कोई सूचना अधिकारी बार-बार इस प्रकार से सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहता है या सूचना निर्देशकोंका सक्ती से पालन न करनेपर उसके विरुध्द विभागवार कार्रवाई की संस्तुति की जा सकती है।

१) लोकसूचना अधिकारी (आरटीआय आवेदन)

२) प्रथम सूचना अपीलीय अधिकारी (लोकसूचना अधिकारी सूचना न देनेपर इन्हें अपील करें)

३) द्वितीय सूचना अपीलीय अधिकारी (लोकसूचना अधिकारी और प्रथम सूचना अपीलीय अधिकारी इनके खिलाफ यहाँ अपील करें।)

(सूचना आयोग)